अतिमहत्वपूर्ण/ध्यानाकर्षण/फैक्स/ई–मेल

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

संख्याःडीजी–परिपत्र–63/2018 दिनांकःलखनऊःदिसम्बर 18 ,2018

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः उत्तर प्रदेश राज्य के अराजत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवाभिलेख में मूल निवास स्थान के पते को परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

———

कृपया उपयुर्क्त विषयक तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र संख्याःपॉच–निर्देश–2015, दिनॉकः **17-06-2015** एवं तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना, उत्तर प्रदेश के निर्देश संख्याःडीजी–चार–106(35)2017, दिनॉकः **26-10-2017** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि परिपत्र दिनॉकः **17-06-2015** के प्रस्तर–2 में अंकित एमजीओ संस्करण 1981 के **प्रस्तर–31 Criteria for change of home town.** The following order of the state Government exist in regard the change of home town (see rule **81-B,F.H.B** Volume **III** Travelling Allowance Rules): के अनुसार सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्त पर उनको स्वयं के लिये और परिवार उनके **गृह निवास के कस्बे या उस स्थान पर जहॉ उनका** सेवानिवृत्तोपरान्त **निवास** करने का **अभिप्राय** है, को जाने में **यात्रा–भत्ता** दिये जाने से **सम्बन्धित प्रावधान** है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–3 नियम–81ख(1) में कर्मियों के पता परिवर्तन किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

3– इसी प्रकार के परिपत्र दिनॉकः **17-06-2015** के प्रस्तर–2 में अंकित एमजीओ संस्करण 1981 के **प्रस्तर–31** तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका **खण्ड–3** के **नियम–81ख (3)(i)** के अनुसार **"एक बार की गयी निवास गृह की घोषणा साधारणतः अन्तिम मानी जायेगी,** किन्तु अपवादात्मक परिस्थितियों में शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा ऐसी घोषणा में परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है, परन्तु यह कि ऐसा परिवर्तन सरकारी सेवक की सेवा के दौरान एक बार से अधिक नहीं किया जायेगा।"

4– उक्त नियमों में उल्लिखित प्रावधान का तात्पर्य किसी कार्मिक द्वारा अर्जित सम्पत्ति अथवा अन्य कारणों से **नये स्थान के घोषित स्थाई पता (Home town) को मान्यता दिये जाने के लिये परिवर्तन की स्थिति में** एल0टी0सी0 अथवा अन्य शासकीय कार्यो में यात्रा करने के फलस्वरूप **यात्रा–भत्ता** के भुगतान में सत्यापन करने के **मूल भावना से आच्छादित है।** किसी कार्मिक के नये घोषित **स्थाई पता (Home town)** को शासन द्वारा **शासकीय स्वीकृति** दिये जाने के फलस्वरूप कार्मिक को इसका लाभ **उसके स्थानान्तरण या प्रोन्नति आदि में नहीं** मिल सकता है। **उक्त नियमों में भर्ती के समय पुलिस कार्मिक द्वारा घोषित की गयी गृह जनपद (Home District) के पता परिवर्तन से नहीं है।**

Scanned by CamScanner

5– यहॉ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि शासनादेश दिनांक **02.12.1964** में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार **केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के अभ्यर्थियों को ही** अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को **आरक्षण का लाभ दिये जाने की व्यवस्था है। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है।** यदि किसी पुलिस कर्मी द्वारा **प्रदेश के अन्दर का घोषित गृह जनपद (Home District)** का पता संबंधी अभिलेख प्रस्तुत करके **आरक्षण का** लाभ प्राप्त कर भर्ती हुआ है और **भर्ती होने के बाद घोषित मूल गृह जनपद (Home District) का पता परिवर्तित कर** अन्य प्रदेश का पता अंकित कराना चाहता है, तो उसे पता परिवर्तन का लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि वह **भर्ती के समय उत्तर प्रदेश के घोषित मूल गृह जनपद होने के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त कर भर्ती हुआ है।**

6– उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि किसी भी पुलिस कार्मिक द्वारा भर्ती के समय **गृह जनपद (Home District) की एक बार की गयी घोषणा अन्तिम मानी जायेगी और इसे कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।**

7– आपसे अपेक्षा की जाती है कि तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्गत परिपत्र दिनॉकः **17-06-2015** के प्रस्तर–2 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार किसी पुलिस कार्मिक द्वारा **घोषित नये स्थाई पता (Home town)** को मान्यता देने हेतु **परिवर्तित करने** के लिये सभी अपेक्षाओं के पूर्ण करने के फलस्वरूप शासन से शासकीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें। **पुलिस कार्मिक द्वारा भर्ती के समय घोषित गृह जनपद (Home District) का पता परिवर्तन मान्य नहीं होगा।**

8– कृपया उक्त नियमों/निर्देशों से सभी सम्बन्धित अराजपतित्रत अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराते हुये कड़ाई से इसका अनुपालन सुनिश्चित करें/करायें, जिससे भविष्य में कोई सन्देह की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

18/12

(ओ0पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

———

Scanned by CamScanner